

मूल वाद में अन्तिम डिक्री
बमुकद में ईबतदाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

वास्तव अधिकारी :- जय कौशिक (आर.ए.एस.)
दण्ड संख्या :- 61/2023
द पत्र अं. धारा 88/53 आर.टी.ए.

गुरदीप सिंह पुत्र श्री जंगीर सिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ (राज.)
आंकार सिंह पुत्र श्री शिवराज सिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ (राज.)
चरणजीत सिंह पुत्र श्री ठाना सिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ (राज.)

-वादीगण

बनाम

सुखदेव कौर पुत्री श्री जंगीर सिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ (राज.)
अमृतपाल कौर पुत्री श्री शिवराज सिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ (राज.)
कुलविन्द्र कौर पत्नी श्री ठाना सिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ (राज.)
रमनदीप कौर पुत्री श्री ठाना सिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ (राज.)
कौर सिंह पुत्र श्री बहादर सिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ (राज.)
गुरदेव सिंह पुत्र श्री बहादर सिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ (राज.)
जसविन्द्र सिंह पुत्र श्री सिकन्दर सिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ (राज.) हाल आबाद ढाणी गोबिन्दपुरा, नेजा डेला कलां तहसील व जिला सिरसा(हरि.)
बलदेव सिंह पुत्र श्री बहादर सिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ (राज.)
बलविन्द्र सिंह पुत्र श्री विचित्र सिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ (राज.)
बसन्त सिंह पुत्र श्री हिम्मत सिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ (राज.)
बहादर सिंह दत्तक पुत्र श्याम कौर जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ (राज.)
महेन्द्र सिंह पुत्र श्री बाघ सिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ (राज.)
सुखदेव सिंह पुत्र श्री बहादर सिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ (राज.)
हरदेव सिंह पुत्र श्री बहादर सिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ (राज.)
तहसीलदार राजस्व संगरिया।

प्रतिवादीगण

दिनांक :- 30.05.2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू
श्री बहाजरी श्री नरेश मण्डा वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री संजय बिश्नोई वकील प्रति.सं. 1 ता 4 व श्री
सिंह कलसी प्रति.सं. 7 मिन जानिव मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है एव तहसीलदार भू.अ.संगरिया
विभाजन प्रस्ताव मुताबिक अन्तिम डिक्री निम्नानुसार दी जाती है:-

महायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया



चक 10 ए.एम.पी. खाता सं. 56/51:-

1. वादीगण गुरदीप सिंह पुत्र जंगीर सिंह, ओंकार सिंह पुत्र पिवराज सिंह, चरणजीत सिंह पुत्र ढाना सिंह
बहिब कब्जा :-

प.नं. मु.नं. कि.नं.
149/163 42

11,12,13,14/0.253 है.प्र.,
कुल 1.012 है.कृषि भूमि

2. जसविन्द्र सिंह पुत्र श्री सिकन्दर सिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया हाल
आबाद ढाणी गोविन्द पुरा, नेजा डेला कलां तहसील सिरसा(हरि.)

प.नं. मु.नं. कि.नं.
149/16656

10,11,12/0.253 है.प्र.,

151/166 58

कुल 0.759 है. नहरी,
22,23,24/0.253 है.प्र.,
कुल 0.759 है. बारानी1

3. बलविन्द्र सिंह पुत्र श्री विचित्र सिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान (राहिन एस.बी.आई. शाखा
संगरिया)

प.नं. मु.नं. कि.नं.
149/16656

2,3/0.253 है.प्र.नहरी, 4/0.253 है. बारानी1,

5/1/0.228 है., बारानी1,

5/2/0.025 है., गै.मु. खाला,

6/1/0.228 है., बारानी1,

6/2/0.025 है., गै.मु. खाला,

7/0.253 है. बारानी1,

8,9,13,14,15/0.253 है.प्र.नहरी,

1,10,11/0.253 है.प्र.बारानी1,

कुल 3.542 है. मय गै.मु. नहरी/ बारानी1



150/16657

अतः उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नहीं है तो तहसीलदार संगरिया की
खोप्रा के आधार पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार भू.अ.
संगरिया के पत्र क्रमांक प्रा.डिक्री/भू.अ./2024/121 दिनांक 10.01.2025 द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अन्तिम
पक्षों का आवश्यक भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। यदि हक हिस्सा प्रभावित नहीं हो तो
अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे।

नोट :- इस न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 22/2025 फतेह सिंह वगैरा बनाम बलविन्द्र सिंह
वगैरा में अस्थाई स्थगन चक 10 एएमपी की वादग्रस्त भूमि जो इस डिक्री के क्रम संख्या 3 पर
दर्ज बलविन्द्र सिंह पुत्र श्री विचित्र सिंह के 3542/6072 हिस्सा पर दिया गया था, इस
न्यायालय में इस हिस्से की हद तक पक्षकारों में आपस में वाद विचाराधीन होने एवं जारी
स्थगन के मध्यनजर अस्थायी निषेधाज्ञा की पालना उक्त हिस्से के संबंध में वाद संख्या
22/2025 के निर्णय तक यथवात रखी जावे। बिन्दु संख्या 3 के आलावा इस डिक्री में वर्णित
अन्य बिन्दुओं में उल्लेखित पक्षकारों का नामातकरण संबंधित खातों/किलो अनुसार नियमानुसार
किया जा सकता है। जिनमें उक्त निषेधाज्ञा प्रभावित नहीं होती है।

निज... मुद्लिक... बाबत... खर्चा मुकदमे के मय शूद वा शरह फीसदी सालाना आज की
तारीख से तारीख वसूलयावी तक... को अदा करे।

वसूत मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 30.5.2024 को खुले न्यायालय में जारी
या गया।

(जय कौशिक)

महाराष्ट्र कलक्टर एवं
उपसमूह अधिकारी,
संगरिया

